न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—111/2018/225 आर.टी.एक्ट (2018/00111)

1. श्री लादू पुत्र श्री बालू
2. श्री छोटू पुत्र श्री बालू
3. श्री सोदान पुत्र श्री देवा

सगस्त बालिग जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढाल तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. श्री अशोक गौतम उम्र करीब 30 साल पुत्र श्री पवन कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वाईट हाउस, गोल्फ रोड, कुन्दनगर सिविल लाईन्स अजमेर

रेस्पोडेंट

2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद।

प्रोफोर्मा रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.04.2018 राजस्व वाद संख्या 19/2018

उपस्थितः—

1. श्री रविन्द्र रोठी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—30.11.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 19/2018 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान प्रार्थी/अपीलांट ने एक वाद प्रत्यर्थी अशोक गौतम को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करने के लिए दिनांक 27.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसके साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अंतर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.3.2018 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर प्रत्यर्थी को आगामी पेशी तक पावंद किया व मौके की यथास्थिति बनाए रखें और कोई आपत्ति होतो आगामी पेशी दिनांक 17.5.2018 तक पेश करें परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने नीयत तिथी से पूर्व ही दिनांक 23.4.2018 को प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रस्तुत धारा 151 सीपीसी के आवेदन को स्वीकार कर प्रार्थी को बिना सूचना के ही आदेश संशोधित कर पारित कर दिया। इसलिए अपीलांट उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.04.2018 से असंतुष्ट होकर यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.3.2018 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बिना किसी न्यायोचित अरजेंसी के संशोधित कर अपने क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मौके की यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे जिसे दिनांक 23.4.2018 को बिना किसी आधार के संशोधित कर रपीकींग आदेश दे कर आवेदन को अंतिमरूप से ही तय कर दिए जाने का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने संशोधित आदेश से प्रत्यर्थी को तथाकथित खनन लीज की आड में परोक्ष रूप से सिवायचक और चारागाह भूमि पर नई पिटे बना कर खनन करने की छूट प्रदान कर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने नीयत दिनांक 17.5.2018 तक का इंतजार करना उचित नहीं समझ कर और प्रार्थी व उसके अधिवक्ता को भी दिनांक 23.4.2018 को हाजिर रहने की सूचना दिए बगैर ही केवल प्रत्यर्थी के आवेदन पर ही संशोधित आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने निषेधाज्ञा के तीन विंदु प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तथ्य पर कोई न्यायोचित ध्यान नहीं देकर आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 212 के प्रार्थना पत्र पर प्रत्यर्थी को कोई सशपथ जवाब आए बिना ही केवल मात्र धारा 151 सीपीसी के आवेदन पर संशोधित आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने जो विवेचन किया व आदेश दिया है वह वास्तव में मूल वाद का ही अंतिम निर्णय कर दिए जाने के आदेश के समान हुआ है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के आदेश दिनांक 23.04.2018 द्वारा पारित संशोधित निर्णय को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक राजकीय अभिभाषक ने बताया कि प्रकरण में राजस्थान सरकार केवल प्रोफोर्मा प्रत्यर्थी है।

6. हमनें अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्राम ढाल, तहसील नसीराबाद स्थित आराजी खसरा नंबर 3733, 3734 व 3735 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण की उक्त आराजी तथा इसमें आवागमन के रास्ते में व इसके लगती हुई प्रार्थीगण के कब्जे काश्त और कदीमी उपयोग की उक्त कृषि योग्य सिवायचक और चारागाह भूमि पर खनन व निर्माण कार्य कर बाधा उत्पन्न कर रहे है। अतः अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे । परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 28.03.2018 को अंतरिम आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया कि आराजी मुतनाजा एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उसके समीप चारागाह व सिंचायचक भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे । तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 2 ने परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 23.4.2018 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके सहयोगी खनन कार्य को रोक रहे है । अतः प्रार्थीगण को पावंद किया जावे कि वे अप्रार्थी के खनन कार्य को नहीं रोके । अप्रार्थी संख्या 2 ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष खनन लीज के दस्तावेज पेश किये है । उक्त दस्तावेजों के आधार पर परीक्षण न्यायालय ने दिनांक 28.3.2018 को पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश संशोधित कर ग्राम ढाल के खनन लीज संख्या 220/2006 में खनन कार्य हेतु अप्रार्थी को स्वतंत्रता प्रदान कर प्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 3733, 3734 व 3735 की आराजी तक अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को प्रभावी रखा है । चूंकि अप्रार्थी संख्या 2 स्वंय की खनन लीज खसरा नंबर 220/2006 में खनन कार्य कर रहा है इसलिये अप्रार्थी को उक्त खसरा नंबर यावत् किसी भी निषेधाज्ञा से पावंद नहीं किया जा सकता है । अपीलांट उसकी खातेदारी आराजी में हस्तक्षेप किये जाने पर उसकी खातेदारी आराजी यावत् ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है । इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

7. परिणामत् अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 23.4.2018 यथावत् रखा जाता है।पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर